न्यायालय, सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
मुकाम श्रीकरणपुर, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री श्योराम (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्याः 63/2018(जी.सी.एम.एस. 2018/00119)

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
1. राजू राम पुत्र ईसर राम जाति मेघवाल निवासी अरायण तहसील श्रीकरणपुर।		1. मोडू राम पुत्र दाना राम जाति मेघवाल निवासी कमाना 17 एस टी जी तहसील पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ(नाम हटाया) 2. मोरा बाई पत्नी ईसर राम जाति मेघवाल निवासी अरायण तहसील श्रीकरणपुर। 3. डालू राम पुत्र ईसर राम(मृतक) 3/1. सरस्वती पत्नी डालू राम जाति मेघवाल निवासी अरायण तहसील श्रीकरणपुर। 3/2. रवि पुत्र डालू राम जाति मेघवाल निवासी अरायण तहसील श्रीकरणपुर। 3/3. प्रदीप पुत्र डालू राम जाति मेघवाल निवासी अरायण तहसील श्रीकरणपुर। 3/4. सुमन पत्नी गोपाल राम पुत्री डालू राम जाति मेघवाल निवासी झाझडिया वाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर। 3/5. निर्मला पत्नी हीरा लाल पुत्री डालू राम जाति मेघवाल निवासी डबली राठान तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ। 4. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार श्रीकरणपुर। 5. उप पंजीयक केसरीसिंहपुर तहसील श्रीकरणपुर।

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955

तारीख रजू:– 30.05.2018

उपस्थितः1.श्री पलविन्द्र सिंह अधिवक्ता वादी
2.श्री कृष्ण कुमार परूथी अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1, 3/4
3.श्री ईकबाल सिंह ढिल्लों प्रतिवादी संख्या 2,3/1,3/2,3/3,3/5

—निर्णय—

दिनांकः 13.08.2025

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी के द्वारा वादपत्र पेश कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम 35 एफ के मुरब्बा नम्बर 46, 47 की कुल 6.324 हैक्टेयर भूमि वादी के पिता ईसर राम पुत्र मंगला राम को जिला पुनर्वास एंव प्रबन्धक अधिकारी श्रीगंगानगर द्वारा अलॉट की गई थी। वादी के पिता ईसर राम मूल आंवटी की मृत्यू के बाद उक्त भूमि वादी की दादी पारी, वादी की भुआ जीती उर्फ जीया, माता मोराबाई व भाई डालू राम व वादी स्वंय राजू राम के नाम बहिस्सा बराबर विरास्तन प्राप्त हुई है। उपर्युक्तानुसार ही राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हुई। उक्त भूमि में से ईसर राम के प्रत्येक के नाम 1.265 हैक्टेयर भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। उक्त भूमि में से वादी की लाऔलाद भुआ जीती उर्फ जीया(मृतक) के नाम दर्ज 1.265 हैक्टेयर भूमि वर्तमान में उसके पति मोडू राम प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है। जो प्रतिवादी संख्या 1 के नाम गलत रूप से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हो गई। जबकि हिन्दू उतराधिकारी नियम 1956 की धारा 15, 18 में स्पष्ट रूप से अंकित है कि स्त्री जब कोई सम्पति अपने माता-पिता से प्राप्त करती है तो उसकी मृत्यू होने पर पुत्र तथा पुत्री के अभाव में सम्पति उसके पति को प्राप्त नहीं होगी। बल्कि ऐसी सम्पति उसके (मृत स्त्री) माता-पिता को धारा 15(2) के अनुसार प्राप्त होगी। इस प्रकार जीती उर्फ जिया को प्राप्त आराजी हिन्दू उतराधिकार विधि के अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 मोडू राम प्राप्त करने का हकदार नहीं है। आज से 10 रोज पूर्व प्रतिवादी संख्या 1 मोडूराम को वादी व प्रतिवादी संख्या 3 के वारिसान व 2 द्वारा जीती उर्फ जिया के नाम दर्ज वादगत आराजी भूमि 1.265 हैक्टेयर भूमि, जो प्रतिवादी संख्या 1 के नाम कानूनन रूप से राजस्व रिकॉर्ड में गलत दर्ज हुई है, को वादी व प्रतिवादी संख्या 3 के वारिसान व 2 के नाम करवाने को कहा तो प्रतिवादी संख्या 1 मोडू राम ऐसा करने से साफ इन्कार हो गया। यही वाद कारण है। यही वाद कारण है। वाद पत्र माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार, पूर्ण कोर्ट फीस अन्दर मियाद है। अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 35 एफ के मुरब्बा नम्बर 46, 47 की कुल 6.324 हैक्टेयर भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 मोडू राम के नाम दर्ज कुल 1.265 हैक्टेयर भूमि में से वादी व प्रतिवादी

सहायक कलक्टर एव पदेन
उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

Scanned with OKEN Scanner

संख्या 3 के वारिसान तथा प्रतिवादी संख्या 2 प्रत्येक को 1/3-1/3 हिस्सा का खातेदार घोषित किए जाने के आदेश दिए जावे।

2. वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री कृष्ण कुमार परूथी उपस्थित आए। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम पेश किया। जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम के अनुसार राजस्व ग्राम 35 एफ के मुरब्बा नम्बर 46, 47 की कुल 6.324 हैक्टेयर भूमि में से जीती उर्फ जीया का 1.265 हैक्टेयर हिस्सा जो प्रतिवादी संख्या 1 मोडू राम के नाम दर्ज है। उक्त भूमि में से किला नम्बर 6 से 10 कुल 5 बीघा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 को दी हुई है। जिसको आज से 3 वर्ष पूर्व ठेके पर दी हुई थी, लेकिन इस साल का ठेका मांगा तो आजकल कहते रहे। आज से 15 रोज पूर्व ठेका देने से साफ इन्कार कर दिया तथा भूमि का कब्जा देने से भी इन्कार कर दिया तथा उक्त भूमि का किलवाईज विभाजन करवाने से भी इन्कार हो गये। अतः जवाब दावा मय काउन्टर क्लेम पेश कर अर्ज है कि दावा वादी खारिज किये जाने की कृपा की जावे। इन्तकाल संख्या 541 मोडू राम को जमीन का बंटवारा कर कब्जा मय पानी दिलाया जावे। प्रतिवादी संख्या 2, 3/1, 3/2, 3/3, 3/5 की ओर से सहमति का जवाबदावा पेश किया। प्रतिवादी संख्या 3/4 की ओर से अधिवक्ता श्री कृष्ण कुमार परूथी उपस्थित आए व जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम पेश किया। काउन्टर क्लेम के अनुसार वादी का वादपत्र खारिज किया जाकर मृतक डालू राम व मृतक दादी पारी की भूमि में से हिस्सा दिलवाए जाने के आदेश दिए जावे। वादी अधिवक्ता के द्वारा जवाब काउन्टर क्लेम पेश किया। सामिल मिसल किया गया। पैरोकार राज के द्वारा जवाब स्टेट पेश किया।

3. हमने प्रकरण मे निम्नलिखित विवाद्यक विरचित किये:-

(i)आया कि क्या चक 35 एफ के खाता संख्या 37/30 के मुरब्बा नम्बर 46, 47 की कुल 6.324 हैक्टेयर भूमि में से लाऔलाद फौत अपनी भुआ जीती उर्फ जीया के नाम दर्ज 1.265 हैक्टेयर नहरी भूमि जो जीया उर्फ जीती के पति मोडू राम के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हो गई थी। उक्त 1.265 हैक्टेयर वादग्रस्त आराजी में से वादी 1/3 हिस्सा एंव प्रतिवादी संख्या 2 एंव 3 भी 1/3- 1/3 हिस्से के खातेदार अधिकारो की घोषणा करवाने के अधिकारी है?
-जिम्मे वादी-

(ii) आया कि क्या वादी वादग्रस्त आराजी की 1.265 हैक्टेयर नहरी भूमि वादी की माता के नाम दर्ज थी। माता के फौत होने के पश्चात वादी एंव प्रतिवादी संख्या 2, 3 1/3-1/3 हिस्से की खातेदारी अधिकारो की घोषणा करवा पाने के अधिकारी है? -जिम्मे वादी-

(iii) आया कि क्या चक 35 एफ की 6.324 हैक्टेयर भूमि ईसर राम पुत्र मंगलाराम को जीवों के आधार पर आंवटित हुई थी। लिहाजा जीती उर्फ जीया के नाम दर्ज 1.265 हैक्टेयर भूमि, जीया उर्फ जीती के फौत होने पर उसके पति मोडू राम नामान्तरण संख्या 541 से सही हस्तान्तरित हुई है? -जिम्मे प्रतिवादी संख्या 1-

(iv)अनुतोष।

4. वादी अधिवक्ता के द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 के फौत होने पर प्रार्थना पत्र पेश किया। जो बाद सुनवाई स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 को बतौर प्रतिवादी हटाए जाने के आदेश दिए गए। वकील वादी ने अपने वादपत्र के समर्थन में साक्ष्य प्रदर्श-1 राजस्व ग्राम 35 एफ, पटवार हल्का अरायण, भू.अ.नि. क्षेत्र अरायण, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2069 ता 2072 के खाता संख्या 37/30 की प्रमाणित प्रति, साक्ष्य प्रदर्श-2 विरास्तन इन्तकाल संख्या 541 दिनांक 15.05.2018 की प्रमाणित प्रति, प्रदर्शित करवाए व स्वंय वादी राजू राम का साक्ष्य शपथपत्र, पेश किया। जो सामिल पत्रावली है। जिरह वकील प्रतिवादीगण के द्वारा की गई। ब्यान सामिल मिसल किए गए। सांक्ष्य प्रतिवादी में प्रतिवादी संख्या 3/2 के द्वारा शपथ पत्र पेश किया जो सामिल पत्रावली है।

5. हमने उभयपक्षकारन की बहस सुनी तथा उस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का भली-भांति अवलोकन करते हुए संगत विधिक प्रावधानों पर गौर किया। हम प्रकरण का तनकी वार पृथक-पृथक विवेचन करते हुए निर्णय करना आवश्यक समझते है जो निम्नानुसार है:-

तनकी संख्या (i) : आया कि क्या चक 35 एफ के खाता संख्या 37/30 के मुरब्बा नम्बर 46, 47 की कुल 6.324 हैक्टेयर भूमि में से लाऔलाद फौत अपनी भुआ जीती उर्फ जीया के नाम दर्ज 1.265 हैक्टेयर नहरी भूमि जो जीया उर्फ जीती के पति मोडू राम के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हो गई थी। उक्त 1.265 हैक्टेयर वादग्रस्त आराजी में से वादी 1/3 हिस्सा एंव प्रतिवादी संख्या 2 एंव 3 भी 1/3- 1/3 हिस्से के खातेदार अधिकारो की घोषणा करवाने के अधिकारी है?

उक्त विवाद्यक को साबित करने की जिम्मेदारी वादी की थी। वादी के द्वारा अपने वादपत्र मे अर्ज किया है कि राजस्व ग्राम 35 एफ के मुरब्बा नम्बर 46, 47 की कुल 6.324 हैक्टेयर भूमि वादी के पिता ईसर राम पुत्र मंगला राम को जिला पुनर्वास एंव प्रबन्धक अधिकारी श्रीगंगानगर द्वारा अलॉट की गई थी। वादी के पिता ईसर राम मूल आंवटी की मृत्यू के बाद उक्त भूमि वादी की दादी पारी, वादी की भुआ जीती उर्फ जीया, माता मोराबाई व भाई डालू राम व वादी स्वंय राजू राम के नाम बहिस्सा बराबर विरास्तन प्राप्त हुई है। उक्त भूमि में से वादी की लाऔलाद भुआ जीती उर्फ जीया(मृतक) के नाम दर्ज 1.265 हैक्टेयर भूमि वर्तमान में उसके पति मोडू राम प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है। जो प्रतिवादी संख्या 1 के नाम गलत रूप से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हो गई। जबकि हिन्दू उतराधिकारी नियम 1956 की धारा 15, 18 में स्पष्ट रूप से अंकित है कि स्त्री जब कोई सम्पति अपने माता-पिता से प्राप्त करती है तो उसकी मृत्यू होने पर पुत्र तथा पुत्री के अभाव में सम्पति उसके पति को प्राप्त नहीं होगी। बल्कि ऐसी सम्पति उसके (मृत स्त्री) माता-पिता को धारा 15(2) के अनुसार प्राप्त होगी। इस प्रकार जीती उर्फ जिया को प्राप्त आराजी हिन्दू उतराधिकार विधि के अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 मोडू राम प्राप्त करने का हकदार नहीं था। इसलिए वादग्रस्त 1.265 हैक्टेयर आराजी में से वादी 1/3 हिस्सा एंव प्रतिवादी संख्या 3 के वारिसान 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 2, 1/3 हिस्सा के खातेदार घोषित होने के अधिकारी है। लिहाजा राजस्व ग्राम 35 एफ, पटवार हल्का अरायण, भू.अ.नि. क्षेत्र अरायण, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 37/37 के मुरब्बा नम्बर 46, 47 की कुल 6.324 हैक्टेयर भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 मोडू राम पुत्र दाना राम के नाम 1.265 हैक्टेयर भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। जो उसकी पत्नी जीती उर्फ जीया के फौत होने के पश्चात विरास्तन नामान्तरण संख्या 541 से दर्ज हुई है। जीती उर्फ जीया को वादगत भूमि अपने पिता ईसर राम से विरास्तन प्राप्त हुई थी। जीती उर्फ जीया लाऔलाद फौत हुई थी। इसलिए हिन्दू उतराधिकारी अधिनियम के अनुसार लाऔलाद फौत होने पर जीती उर्फ जीया के नाम दर्ज 1.265 हैक्टेयर भूमि उसके पिता के वारिसान के नाम दर्ज होनी चाहिए थी। विरास्तन नामान्तरण संख्या 541 प्रारम्भ से शून्य है। अतः वादी इस तनकी को साबित करने में पूर्णतया सफल रहा है। यह तनकी बहक वादी निर्णीत की जाती है।

तनकी संख्या (ii) आया कि क्या वादी वादग्रस्त आराजी की 1.265 हैक्टेयर नहरी भूमि वादी की माता के नाम दर्ज थी। माता के फौत होने के पश्चात वादी एंव प्रतिवादी संख्या 2, 3 1/3-1/3 हिस्से की खातेदारी अधिकारो की घोषणा करवा पाने के अधिकारी है?

उक्त विवाद्यक को साबित करने की जिम्मेदारी वादी की थी। उक्त तनकी के संबध में वादी के द्वारा कोई साक्ष्य दस्तावेजात पेश नहीं किया है। लिहाजा वादी इस तनकी को साबित करने में पूर्णतया असफल रहा है। यह तनकी विरूद्व वादी निर्णीत की जाती है।

तनकी संख्या (iii) आया कि क्या चक 35 एफ की 6.324 हैक्टेयर भूमि ईसर राम पुत्र मंगलाराम को जीवों के आधार पर आंवटित हुई थी। लिहाजा जीती उर्फ जीया के नाम दर्ज 1.265 हैक्टेयर भूमि, जीया उर्फ जीती के फौत होने पर उसके पति मोडू राम नामान्तरण संख्या 541 से सही हस्तान्तरित हुई है?

उक्त विवाद्यक को साबित करने की जिम्मेदारी प्रतिवादी संख्या 1 की थी। वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 1 फौत हो चुका है। हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम बतौर प्रतिवादी हटा दिया गया है।

(iv) अनुतोष।

पूर्व निर्णीत तनकी संख्या 1 बहक वादी निर्णीत की जा चुकी है। अतः वादी व प्रतिवादी संख्या 2, 3/1 ता 3/5 को अनुतोष प्रदान करना हम विधिसंगत समझते है। लिहाजा यह तनकी इस कदर निर्णीत की जाती है।

-:क्रियात्मक आदेश:-

6. अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वादपत्र वादी अंतर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 भली-भांति साबित होने से स्वीकार किया राजस्व ग्राम 35 एफ, पटवार हल्का अरायण, भू.अ.नि. क्षेत्र अरायण, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 37/37 के मुरब्बा नम्बर 46, 47 की कुल 6.324 हैक्टेयर भूमि में से मृतक मोडू राम पुत्र दाना राम के नाम दर्ज 1.265 हैक्टेयर भूमि में से वादी राजू राम पुत्र ईसर राम को 1/3 हिस्सा का, प्रतिवादी संख्या 2 मोरा बाई पत्नी ईसर राम को 1/3 हिस्सा का व प्रतिवादी संख्या 3/1 सरस्वती, 3/2 रवि, 3/3 प्रदीप, 3/4 सुमन, 3/5 निर्मला को 1/3 बहिस्सा बराबर भूमि का खातेदार घोषित किया जाकर उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किए जाने के आदेश दिए जाते है तथा प्रतिवादी संख्या 3/4 का काउन्टर क्लेम खारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री इस आशय का जारी हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/ लेख भण्डार जमा हो।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

निर्णय आज दिनांक 13.08.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर (श्री गंगानगर)

अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी}
(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} मुकाम श्रीकरणपुर
ब इजलास श्री श्योराम (आर.ए.एस.)
राजू राम बनाम मोडू राम आदि
धारा अन्तर्गत 88, 188 आरटीए मुकदमा नम्बर 63/2018
निर्णय दिनांक :-13.08.2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी **वादी अधिवक्ता श्री पलविन्द्र सिंह व प्रतिवादीगण अधिवक्ता श्री कृष्ण कुमार परूथी, श्री ईकबाल सिंह ढिल्लों के** पेश होने पर आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादपत्र वादी अंतर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 भली-भांति साबित होने से स्वीकार किया राजस्व ग्राम 35 एफ, पटवार हल्का अरायण, भू.अ.नि. क्षेत्र अरायण, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 37/37 के मुरब्बा नम्बर 46, 47 की कुल 6.324 हैक्टेयर भूमि में से मृतक मोडू राम पुत्र दाना राम के नाम दर्ज 1.265 हैक्टेयर भूमि में से वादी राजू राम पुत्र ईसर राम को 1/3 हिस्सा का, प्रतिवादी संख्या 2 मोरा बाई पत्नी ईसर राम को 1/3 हिस्सा का व प्रतिवादी संख्या 3/1 सरस्वती, 3/2 रवि, 3/3 प्रदीप, 3/4 सुमन, 3/5 निर्मला को 1/3 बहिस्सा बराबर भूमि का खातेदार घोषित किया जाकर उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किए जाने के आदेश दिए जाते है। प्रतिवादी संख्या 3/4 का काउन्टर क्लेम खारिज किया जाता है। शेष खाता व रहन बदस्तुर रहेगा।

आज दिनांक 13.08.2025 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

मुददई	रूपया	पैसा	मुदायली	रूपया	पैसा
स्टाम्प अरजीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	04	00
स्टाम्प वकालतनामा	02	00	स्टाम्प अरजी	04	--
स्टाम्प ड्यूटी	00	00	मेहनताना वकील पर	00	--
योग	04	00	योग	08	00

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)
दिनांक 13.08.2025

क्रमांकः रीडर/ 2025/616
प्रतिलिपिः तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ भेजकर लेख है कि उक्त डिक्री की नियमानुसार पालना कर, पालना रिपोर्ट अद्योहस्ताक्षरकर्ता न्यायालय में भिजवाना सुनिश्चित करे।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)